न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 12 / 2024(पुरानी–68 / 2016)
प्रविष्टि दिनांकः– 13.03.2024(पुरानी–09.11.2016)
निर्णय दिनांक :– 01.05.2024

::–उनवान–::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सौभागमल अग्रवाल निवासी केकड़ी रोड़ पुराना बस स्टैंड टोडारायसिंह जिला केकड़ी मैसर्स अग्रवाल कोल्ड ड्रिंक्स एवं रेस्टोरेन्ट केकड़ी रोड़ पुराना बस स्टैंड टोडारायसिंह जिला केकड़ी ।
2. मैसर्स अग्रवाल कोल्ड ड्रिंक्स एवं रेस्टोरेन्ट केकड़ी रोड़ पुराना बस स्टैंड टोडारायसिंह जिला केकड़ी ।

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षी राहुल जैन स्वयं उपस्थित।

::–निर्णय–:: **दिनांक: 01.05.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05.2016 को समय 02:00 पीएम पर मैसर्स अग्रवाल कोल्ड ड्रिंक्स एवं रेस्टोरेन्ट केकड़ी रोड़ पुराना बस स्टैंड टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सौभागमल अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी, नमकीन, बिस्किट, स्वीटैण्ड ड्रिंकिंग वाटर के साथ–साथ दुकान में लगभग 16 कार्टून पैक्ड अवस्था में प्रत्येक बोतल 1 लीटर पैक के 12 बोतल **पैकेज ड्रिंकिंग वाटर(बेलोरी ब्राण्ड)** रखा हुआ था। इस **पैकेज ड्रिंकिंग**

वाटर(बेलोरी ब्राण्ड) का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सौभागमल अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सौभागमल अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में रखे 1 लीटर मूल पैक के लगभग 16 कार्टून पैक्ड अवस्था में से **पैकेज ड्रिंकिंग वाटर(बेलोरी ब्राण्ड)** के बैच नं. 09 एवं पैकिंग की दिनांक 25.04.2016 थी, के दो कार्टून खोलकर ज्यो का त्यों पैक्ड अवस्था मे 1 लीटर पैक की 16 बोतल मूल पैक वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सौभागमल अग्रवाल को रू 160/– अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पैकेज ड्रिंकिंग वाटर(बेलोरी ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 16 बोतल मूल पैक प्रत्येक 1 लीटर पैक को चार–चार बोतल के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1378 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं श्री राजेन्द्र कुमार जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1378 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री राजेन्द्र कुमार जैन एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री राहुल जैन को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3640 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./1608/ एक्ट/2016/2710 दिनांक 26.07.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **पैकेज ड्रिंकिंग वाटर(बेलोरी ब्राण्ड) मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पैकेज ड्रिंकिंग वाटर(बेलोरी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 4,000/– (अक्षरे नौ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.05.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
केकड़ी–राज0